राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....(1–3) 221, 222 व 223/2017..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मैसर्स शान्ति सेल्स, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत–II, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/02/2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री के. एल. जैन, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा ये तीन अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील/स्थगन संख्या क्रमशः 115, 116 व 113/99936328473/RVAT/2016–17 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 11.11.2016 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा आलौच्य अवधियों के लिये सृजित मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना–पत्रों को आंशिक रूप से (वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक) स्वीकार किया है तथा शेष कर व ब्याज की मांग राशि को वसूलनीय अवधारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रकरणों में कुल वसूली योग्य राशि की वसूली की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विभागीय दल द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 26.06.2015 को किया जाने पर मौके पर पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 61 व 65 के तहत आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक आदेश दिनांक 11.11.2016 को पारित करते हुए पान मसाला की बिक्री पर 30/45/60 प्रतिशत की दर से कर, अनुवर्ती ब्याज एवं करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी, साथ ही वसूली योग्य राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु धारा 38(4) के तहत प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किये गये, जो अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से आंशिक रूप से स्वीकार किये गये। अतः अपीलार्थी व्यवहारी ने इन अपीलों के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों के जरिये प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :– **लगातार.....2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....(1–3) 221, 222 व 223/2017..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मैसर्स शान्ति सेल्स, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत–II, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10/02/2017

अपील संख्या	वर्ष	आरोपित			
		कर	ब्याज	शास्ति	चाहा गया स्थगन
1	2	3	4	5	6
221/17	2014–15	18,32,49,096	4,76,44,765	36,64,98,192	21,25,68,951
222/17	2015–16	3,67,91,230	58,86,596	7,35,82,460	3,89,98,703
222/17	2012–13	4,11,72,877	2,03,80,574	8,23,45,754	5,74,36,163

अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री पंकज घीया तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा एक डिस्ट्रिब्यूटर के रूप में मामा ब्राण्ड सुपारी मैसर्स आर.आर.झिरीवाल अलवर से खरीद की गयी थी एवं आर.आर.झिरीवाल अलवर के सर्वेक्षण के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस माल को पान मसाला मानते हुए उस पर पान मसाला पर देय कर 60 प्रतिशत से आरोपित किया गया एवं उस पर ब्याज एवं शास्ति भी आरोपित की गई। इस तरह अपीलार्थी द्वारा जिस विक्रेता से माल खरीद किया जा रहा है उस माल को पान मसाला मान लिया गया है एवं उसी माल के सन्दर्भ में अपीलार्थी व्यवहारी का भी सर्वे किया जाकर इस माल को भी पान मसाला मानते हुए 60 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया है। कथन किया कि स्वयं कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश के पृष्ठ संख्या 5 पर यह वर्णित किया है कि "व्यवहारी ने पुनः दिनांक 24.05.16 को प्रस्तुत सहायक जवाब में बताया कि अगर यह पान मसाला है तो वे राजस्थान में इस विवादित माल के प्रथम विक्रेता नहीं है। साथ ही व्यवहारी ने बताया कि उन्होंने मै0 आर0आर0 झीरीवाल से यह विवादित माल खरीदा है तथा श्रीमान् अपीलीय प्राधिकारी ने इस विवादित माल को पान मसाला नहीं माना है।"

विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध एक बार यह मान भी लिया जावे कि यह माल पान मसाला का विक्रय किया गया है तो यह उक्त आदेश से स्पष्ट है कि वह प्रथम विक्रेता न होकर राज्य में द्वितीय विक्रेता है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12 (63)एफडी/टैक्स/2005–172 दिनांक 31.03.2006 के अनुसार पान मसाला पर प्रथम बिन्दु पर ही करदेयता है। ऐसी स्थिति में चूंकि पान मसाला प्रथम बिन्दु पर ही कर योग्य है, तब उस हालत में अपीलार्थी पर करदेयता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है एवं यदि यह माना जाये कि

लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....(1–3) 221, 222 व 223/2017..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मैसर्स शान्ति सेल्स, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत–II, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/02/2017	यह पान मसाला नहीं है तब उस हालत में चूंकि अपीलार्थी ने सुपारी की खरीद की है तब उस अनुसार उस पर विक्रय कर एवं आई.टी.सी. क्लेम स्वतः प्राप्त होने योग्य है। इस तरह दोनों ही स्थितियों में अपीलार्थी किसी भी आधार पर अतिरिक्त मांग के लिये दायित्वाधीन नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने यह उल्लेख किया है कि स्वयं अपीलीय अधिकारी ने आर.आर.झिरीवाल के विरूद्ध जो प्रकरण बनाया गया था कि मामा ब्राण्ड सुपारी पान मसाला है, उस कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.01.2016 में त्वरित सुनवाई कर दिनांक 18.04.2016 को निर्णय पारित कर स्वयं अपीलीय अधिकारी ने यह माना कि मामा ब्राण्ड सुपारी पान मसाला नहीं है एवं आर.आर.झिरीवाल के विरूद्ध पूरी मांग निरस्त की गई। उन्होंने कथन किया कि वही माल आर.आर.झिरीवाल ने इस अपीलार्थी को विक्रय किया है एवं इसी अपीलीय अधिकारी ने यह माना है कि वह माल पान मसाला नहीं है, उसके बावजूद भी उनके स्वयं के अपीलीय आदेश दिनांक 18.04.2016 के बाद अपीलार्थी को स्थगन के विरूद्ध दिये गये आदेश दिनांक 26.12.2016 में स्थगन केवल शास्ति राशि का प्रदान किया गया, जिसका कोई आधार नहीं है क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने स्वयं ने ही निर्णीत कर लिया है कि उनके द्वारा विक्रय किया गया माल पान मसाला नहीं है तब वे स्वयं इस मामले में स्थगन नहीं दिया जाना पूर्णतया विधिक रूप से अनुचित है। यह भी कथन किया कि स्वयं कर निर्धारण आदेश में यह अंकित किया हुआ है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा इस मामा ब्राण्ड सुपारी के मामले में आर.आर.झिरीवाल की मांग निरस्त की जा चुकी है। इस तरह उसी अपीलीय अधिकारी द्वारा अन्यथा आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतया विधिविरूद्ध है, अतः दोनों ही आधारों पर अपीलार्थी की मांग अपास्त योग्य होने से मांग पर स्थगन आदेश जारी करने का अनुरोध किया। विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया, परन्तु अपीलीय अधिकारी के मामा ब्राण्ड सुपारी पर किये गये निर्णय पर कोई तर्क नहीं दिया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय आदेश व कर निर्धारण आदेश का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा समस्त माल आर.आर.झिरीवाल नामक फर्म से खरीद किया गया था जो कि मामा ब्राण्ड सुपारी था। आर.आर.झिरीवाल फर्म का सर्वेक्षण करने के पश्चात् सुपारी को पान मसाला मानते हुए कर निर्धारण लगातार.....4	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....(1–3) 221, 222 व 223/2017..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मैसर्स शान्ति सेल्स, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राज. वृत–II, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 4 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/02/2017	अधिकारी ने आदेश पारित किया था, उसी श्रृंखला में अपीलार्थी द्वारा चूंकि मामा ब्राण्ड सुपारी आर.आर.झिरीवाल से खरीद की थी अतः अपीलार्थी पर भी विवादित माल को पान मसाला मानते हुए मांग सृजित की गयी है परन्तु यह विरोधाभास स्पष्ट है कि यदि द्वितीय विक्रेता को पान मसाला का उत्पाद विक्रय करना बताया जाता है तब उस स्थिति में प्रथम बिन्दु पर ही करदेयता होने से अपीलार्थी पर करदेयता नहीं बनती है। यह तर्क उचित है एवं चूंकि आर.आर.झिरीवाल फर्म जिससे माल क्रय किया गया है एवं उस फर्म के विरूद्ध उसी माल मामा ब्राण्ड सुपारी को पान मसाला होने सम्बन्धी निष्कर्ष को अपास्त कर अपीलीय अधिकारी द्वारा आर.आर. झिरीवाल के विरूद्ध पारित आदेशों को निरस्त किया जाता है, ऐसी स्थिति में खरीददार विक्रेता द्वारा कर निर्धारण के समय अपीलीय अधिकारी के आदेश का हवाला देने के पश्चात् स्वयं उन्हीं अपीलीय अधिकारी द्वारा इस पर स्थगन नहीं दिया जाना न्यायसम्मत नहीं है क्योंकि उनके स्वयं द्वारा ही पान मसाला नहीं माने जाने का निर्णय इस प्रकरण के पूर्व ही दिया जा चुका था। अपीलीय अधिकारी ने शास्ति को स्थगित कर दिया है परन्तु कर पर स्थगन नहीं दिया है, जबकि उनके स्वयं के आदेश अनुसार यह माल पान मसाला नहीं माना गया है। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि (कॉलम संख्या 6 के अनुसार) की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 10.2.2017 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	